मुन्तकिली प्रकरण सं. 59/2018 (RCMS 2018/00110)अनवानी 1. अवतार सिंह पुत्र गुंरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. श्री संदीप काकड़, उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर, 2. सुखदेव सिंह 3. रामसिंह, 4. गुरतेज सिंह पिसरान बचन सिंह जाति जटसिख निवासी रड़ेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 5. गमदूर सिह 6. महेन्द्र सिंह 7. जोगेन्द्र सिह पिसरान जीता सिंह जाति जटसिख निवासी रड़ेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.06.2018

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया की चक 10 एफ के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 1, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 व मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 14 व 17 कुल 2 बीघा भूमि है और अप्रार्थीगण ने चक 10 एफ के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 21 से 25 व मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 1 से 5 में से रास्ता स्वीकृत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना की चक 10 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रार्थी व प्रार्थी की माता के नाम से खातेदारी दर्ज है और इसी मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 21 ता 25 में कोई रास्ता नहीं था और न है। किला नम्बर 21 में प्रार्थी का मकान बना हुआ है और मुरब्बा नम्बर 39 व 40 में अप्रार्थी की स्वयं की भूमि है।

उनका कथन था कि अप्रार्थी की भूमि के लिए मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 15 व 16 की पुलिया पर होते हुए मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 11 ता 15 में से होते हुए मुरब्बा नम्बर 39 की अपनी भूमि काश्त करता आ है और अप्रार्थी के लिए यही सुविधाजनक सरलतम रास्ता है। चूंकि रास्ता का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है इसलिए नया रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि ग्राम पंचायत रडेवाला में राजस्व अभियान दिनांक 04.06.2018 में उक्त पत्रावली प्रस्तुत हुई और प्रार्थी के अधिवक्ता ने पक्षकारण में राजीनामा न होना जाहिर किया और अदालत से निर्णय करने हेतु निवेदन किया और यह भी निवेदन किया कि चूंकि वादग्रस्त भूमि जिसमें रास्ता चाहा जा रहा है वह प्रार्थी व प्रार्थी की माता के नाम से है इसलिए प्रार्थी की माता को पक्षकार बनाया जावे और साथ ही धारा 251 के आज्ञापक नियमों के अनुसार गिरदावर तहसीलदार से मौके पर रास्ता की रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट मंगवाने से इन्कार कर दिया और कैम्प के दौरान ही पटवारी, गिरदावर से हस्ताक्षर करवा लिये और कहा कि मै आज ही फैसला करूगां। उनकी उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई गौर नहीं किया गया और उसके वकील के चले जाने के बाद कि आज फैसला नहीं करेगें और मुकद्दमें का फैसला नहीं करेगा।

उनका आगे कथन है कि पीठासीन अधिकारी कानून व नियम के विपरीत जाकर प्रार्थीगण को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनावश्यक रूची से कार्य कर रहे है , जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उक्त अधिकारी, करणपुर के न्यायालय में विचारीधनी प्रकरण संख्या 23/2014 सुखदेव सिंह वगै बनाम अवतार सिंह वगै अन्तर्गत धारा 251 एक अन्य अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

मैने प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त तर्कों पर मनन किया और उनके द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में लंबित प्रकरण संख्या 23/2014 अनवानी सुखदेव सिंह वगै. बनाम अवतार सिंह वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना को लेकर किसी अन्य सक्षम

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.06.2018 को पेश किया है। प्रार्थी अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण के गुण दोष सम्बन्धी तर्क प्रस्तुत किये है। इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण के गुण दोष पर कोई विचार नहीं करना है, केवल मात्र यह देखना है कि उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से किसी सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से मुंतकिल किये जाने योग्य है अथवा नहीं। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस आरोप पीठासीन अधिकारी पर आरोपित नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अगर उक्त प्रकरण को मुंतकिल नहीं किया गया तो उसके साथ घोर अन्याय होगा। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय से मुन्तकिल किया जाना उचित हो। अतः प्रार्थीगण मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर